

तारीख हुक्म	न्यायाधीश-सेशन न्यायाधीश, सीकर सेशन प्रकरण संख्या- 318/2023 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम फैयाज अली	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील में ज हुए
18.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त फैयाज अली अनुपस्थित की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सैनी पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। 2. अभियुक्त के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सैनी की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह महला ने उपस्थित होकर उपस्थिति पत्र पेश किया। 3. लोक अभियोजक ने दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किए। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्लू 13 विक्रान्त शर्मा व पी.डब्लू 14 पवन कुमार चौबे के बयान लेखबद्ध किए गए। गवाह धर्मेन्द्र का जमानती वारण्ट अदम तामील प्राप्त हुआ है। 4. गवाह संख्या 11 धर्मेन्द्र को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रुपये से तलब किया जावे। वारण्ट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार टारगेट प्रकरण है अतः तामील विशेष वाहक से आवश्यक रूप से करवाई जावे। विशिष्ट लोक अभियोजक को निर्देश है कि वे गवाह को अपने स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। 5. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 30.06.2026 को पेश हो।  18.6.26 सेशन न्यायाधीश, सीकर	